

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH



**THE HIMACHAL PRADESH**  
**RIGHT TO INFORMATION RULES, 2006**  
**(As Amended upto November, 2009)**

Department of Administrative Reforms  
Himachal Pradesh Government Shimla-171002

हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जनवरी, 2006

सं०पी०ई०आर(ए०आर०)एफ(7)2/98 वोल०-1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) [इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 है ]<sup>1</sup>

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम सं० 2005 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(घ) "परिशिष्ट" से इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में कमशः उनके हैं।

3. सूचना प्राप्त करने बारे आवेदन.—(1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह नियम 5 में विहित फीस सहित जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी को प्ररूप-"अ"में आवेदन करेगा और जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी सम्यक रूप से इसकी पावती देगा और इसकी विशिष्टियां परिशिष्ट-1 में इस प्रयोजन हेतु अनुरक्षित आवेदन रजिस्टर के भाग-1 में दर्ज की जाएगी—

<sup>1</sup> 21 जनवरी, 2006 से इन नियमों में चार बार संशोधन किया जा चुका है जिसका वर्णन नियमों में उपयुक्त स्थान पर किया गया है एवं समस्त संशोधन इन नियमों के अन्त में दिए गए हैं।

(परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।)<sup>1</sup>

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक के मामले के सिवाय, आवेदन तभी स्वीकृत किया जाएगा यदि वह नियम-5 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के संदाय के समर्थन में (सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफ्ट या)<sup>2</sup> चालान (या भारतीय पोस्टल आर्डर)<sup>3</sup> सहित संलग्न होगा। प्रत्येक विषय और प्रत्येक वर्ष जिससे सूचना सम्बन्धित है, की बावत पृथक आवेदन किया जाएगा।

(3) जब मांगी गई सूचना तैयार हो और यदि कोई अतिरिक्त फीस का संदाय अपेक्षित हो, तो जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>4</sup> आवेदन पर दिए गए पते पर आवेदक द्वारा संदत की जाने वाली अतिरिक्त फीस प्ररूप 'अ' में विनिर्दिष्ट करते हुए, तथ्य से सूचित करेगा। भेजी जाने वाली सूचना की विशिष्टियां आवेदन रजिस्टर के भाग-2 में अंकित की जाएगी।

(4) जब सूचना तैयार हो जाए तो, जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>5</sup> आवेदक को प्ररूप 'इ' में सूचना देगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन दी गई कोई भी सूचना कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध भाषा में होगी।

4. अभिलेख का निरीक्षण.— (1) कोई व्यक्ति जो धारा-4 के अधीन आवेदन करने से पहले अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो वह जिस प्रयोजन के लिए अभिलेख का निरीक्षण किया जाना है को उपदर्शित करते हुए, प्ररूप 'इ' में आवेदन करेगा :

(परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।)<sup>6</sup>

1 नियम 3 के उप नियम (1) के पश्चात परन्तुक "परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

2 नियम 3 (2) में "सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को देय मांगदेय ड्राफ्ट शब्द अधिसूचना संख्या : पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1, दिनांक 24.05.2006 द्वारा अन्तःस्थापित किए गए।

3 नियम 3 (2) में "या भारतीय पोस्टल आर्डर" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किए गए।

4 नियम 3 (3) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।

5 यथोपरि (4)

6 नियम 4 के उप नियम (1) के पश्चात परन्तुक "परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(2) जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>1</sup> द्वारा परिशिष्ट-11 में दिये गए प्ररूप में एक निरीक्षण रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा और उसमें आवेदन तथा निरीक्षण सम्बन्धी ब्यौरों का अभिलेख रखा जाएगा।

(3) निरीक्षण के दौरान आवेदक किसी अभिलेख/दस्तावेज की कोई फोटो इत्यादि नहीं लेगा।

4. यदि अधिनियम की धारा 8 व 9 के अधीन अभिलेख का निरीक्षण अस्वीकार किये जाने के सिवाए जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>2</sup> नियम-5 में विहित अपेक्षित फीस के संदाय पर निरीक्षण की अनुमति देगा।

5. फीस प्रभार.— (1) राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>3</sup> निम्नलिखित दरों पर सूचना प्रदान करने हेतु फीस लेगा, अर्थात् :—

| सूचना का विवरण   | मूल्य/फीस रूपये में   |
|--|---|
| 1. आवेदन सहित फीस  | 10 रूपये प्रति आवेदन  |
| 2. जहां सूचना प्रकाशन मूल्य रूप में उपलब्ध है  | मुद्रित मूल्य पर  |
| 3. प्रकाशित मूल्य से अन्यथा के लिए   | ए-4 आकार या उससे छोटे पृष्ठ के लिए (2) <sup>4</sup> रूपये प्रति पृष्ठ और बड़े आकार के पृष्ठ के लिए वास्तविक मूल्य न्यूनतम 20 रूपये के अधीन। |
| 4. जहां सूचना ईलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध है और ईलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में दी जानी है जैसे फ्लोपी व सीडी इत्यादि | 50 रु० प्रति फ्लोपी व 100 रु० प्रति सीडी।   |
| 5. अभिलेख/दस्तावेज के निरीक्षण के लिए फीस  | (30) <sup>5</sup> मिनट या उसके भाग के लिए<br>(20) <sup>6</sup> रु०  |

- 1 नियम 4 (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।
- 2 यथोपरि (1)
- 3 यथोपरि (1)
- 4 नियम 5 (1) की मद संख्या: 3 में अंक " 2" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- 5 नियम 5 (1) की मद संख्या: 5 में अंक " 30" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- 6 नियम 5 (1) की मद संख्या: 5 में अंक " 20" अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) दी जाने वाली सूचना का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक का नाम देते हुए (गरीबी रेखा से नीचे की हैसियत सहित) सम्यक रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए, और उस पर सूचना देने वाले सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*) के तारीख सहित हस्ताक्षर एवम मुद्रा होनी चाहिए।

(3) फीस/प्रभार राजकीय कोष में \*0070-ओ0ए0एस0,60-ओ0एस0,800-ओ0आर0,11-सूचना का अधिकार, अधिनियम-2005 के अधीन रसीद मुख्य शीर्ष में जमा किए जाएंगे। इस शीर्ष में प्रोदभवन, अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान के रूप में पृथक निधि में रखा जायेगा जिसके अन्तर्गत उपकरणों और खपने वाली वस्तु का क्रय, कर्मचारियों को प्रशिक्षण का उपबन्ध करना इत्यादि सम्मिलित है।

6. अपील प्राधिकारियों के समक्ष अपील की प्रक्रिया-(1). अपील की विषय वस्तु-अपीलीप्राधिकारी/आयोग को अपील के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात:-

- (i) अपीलार्थी का नाम व पता ;
- (ii) जन-सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की गई है;
- (iii) संख्या सहित आदेश की विशिष्टियां यदि कोई हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है;
- (iv) अपील मे जाने के लिए संक्षिप्त तथ्य;
- (v) यदि अपील नामंजूर समझे जाने के विरुद्ध दायर की गई है तो संख्या और तारीख सहित आवेदन की विशिष्टियां और जनसूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन किया गया था ;
- (vi) मांगा गया अनुतोष या प्रार्थना ;
- (vii) अनुतोष या प्रार्थना हेतु आधार ;
- (viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापन ; और
- (ix) अन्य कोई सूचना जो आयोग अपील विनिश्चित करने हेतु आवश्यक समझे।

1 नियम 5 (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किया गया।

(2) अपीलार्थी अपील के ज्ञापन की (दो)<sup>1</sup> प्रतियां कार्यालय प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(3) अपील प्राधिकारी/आयोग को की गई प्रत्येक अपील निम्नलिखित दस्तावेजों सहित होनी चाहिए— अर्थात :-

(i) आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिसके विरुद्ध अपील दायर की जानी है ;

(ii) (\*\*\*\*\*)<sup>2</sup>

((ii))<sup>3</sup> अपीलार्थी द्वारा अपील में निर्दिष्ट किये गये विश्वसनीय दस्तावेजों की प्रतियां; और

((iii))<sup>4</sup> अपील में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

(4) जब अपील प्राधिकारी/आयोग अभिलेख की मांग करेगा वह किसी भी दशा में 10 दिनों के भीतर यदि अपेक्षित हो तो अभिलेख की एक अधिप्रमाणित प्रति रखते हुए, मूल अभिलेख वापस कर देगा।

(5) सुनवाई की तारीख पर या अन्य किसी दिन, जिसको सुनवाई स्थगित की गई थी, पक्षकार अपील प्राधिकारी/आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। यदि अपीलार्थी ऐसी तारीख पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो अपील प्राधिकारी/आयोग स्वविवेकानुसार या तो अपील खारिज कर देगा या गुणागुण आधार पर एकपक्षीय विनिश्चय देगा।

(6) अपील प्राधिकारी/आयोग की अनुमति के सिवाय, अपीलार्थी किन्हीं आक्षेपों के आधार के समर्थन में जो कि ज्ञापन में नहीं दिया गया है, को न तो बताएगा और न ही सुना जाएगा, परन्तु अपील प्राधिकारी/आयोग को अपील का विनिश्चय करते समय स्वयं को ज्ञापन में दिए गए आक्षेपों के आधार तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं होगी :

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी/आयोग का विनिश्चय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट से अन्यथा किसी आधार पर नहीं होगा, जब तक कि इससे प्रभावित होने वाले पक्षकार को अपील प्राधिकारी/आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर न दिया जाए।

(7) आयोग अपनी दिन-प्रतिदिन की कार्यावाहियों की बावत अपने विनियम बना सकेगा।

1 नियम 6 (2) में "दो" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2 नियम 6 (3) में खण्ड (ii) "विहित फीस के संदाय के प्रमाण हेतु चालान" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा लोप किए गए।

3 नियम 6 (3) में खण्ड (iii) और खण्ड (iv) को खण्ड (ii) और खण्ड (iii) के रूप में अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा पुनः संख्यांकित किया गया।

4 यथोपरि (3)

[प्ररूप--'अ'  
{नियम-3 (1) देखें},

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन ।)<sup>1</sup>

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी,  
(उस विभाग का नाम जिससे सूचना वांछित है)

- (क) सूचना की विषयवस्तु  
(ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है मास और वर्ष  
(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण  
(घ) नस्ति संख्या यदि उपलब्ध हो  
(ङ) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का होने की बाबत छूट का दावा करता है, यदि हां, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।  
(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान (या भारतीय पोस्टल आर्डर)<sup>2</sup> राशि और तारीख की विशिष्टियां।

आवेदक,

नाम.....  
पता.....  
दूरभाष संख्या.....

अभिस्वीकृति

आपका.....तारीख को किया गया आवेदन मुबलिक  
रुपये ..... के मांगदेय ड्राफ्ट/चालान (/भारतीय पोस्टल आर्डर)<sup>3</sup>  
सहित दैनिकी संख्या.....तारीख ..... द्वारा प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

जनसूचना अधिकारी।

सहायक जनसूचना अधिकारी।

विभाग/लोक प्रधिकारी का नाम]<sup>4</sup>

- 1 नियम 3 (1) तथा नियम 4 (1) के पश्चात अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा शर्त \* परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है \* अन्तःस्थापित की गई है।  
2 प्ररूप 'अ' में \* या भारतीय पोस्टल आर्डर शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.)एफ (7)-2/98-वोल-1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा जोड़े गए।  
3 यथोपरि (2)  
4 प्ररूप 'अ' अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 24.03.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

प्ररूप- 'आ'  
[नियम 3(3) देखें]

प्रेषक

जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>1</sup> का पदनाम  
{विभाग.....}

प्रेषित,

आवेदक का नाम और पता

सन्दर्भ: आवेदन संख्या.....तारीख: .....

विषय:- .....

महोदय,

कृपया उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन तारीख.....का अवलोकन करें। आप द्वारा अपेक्षित सूचना.....पृष्ठ की है और मुद्रित प्रकाशन की लागत.....रूपये है। इस सूचना को आप तक पहुंचाने की अतिरिक्त फीस.....रूपये है। यदि आप वांछित सूचना डाक द्वारा चाहते हैं तो आपको.....रूपये की अतिरिक्त राशि जमा करवानी होगी।

[2. आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग / लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदत करनी या इसे चालान (या भारतीय पोस्टल आर्डर)<sup>2</sup> द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित है।]<sup>3</sup>

3. यदि उदगृहीत अतिरिक्त फीस की राशि से आपका समाधान नहीं होता है तो आपको 30 दिन के भीतर अपील करने का अधिकार होगा।

जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>4</sup>  
दूरभाष संख्या.....

- 1 प्ररूप 'आ' में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।
- 2 प्ररूप 'आ' में "या भारतीय पोस्टल आर्डर" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा जोड़े गए।
- 3 प्ररूप 'आ' का पैर-2 " आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग/ लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदत करनी या इसे चालान द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित है " अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 24.05.2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- 4 प्ररूप 'आ' में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।



प्ररूप- 'इ'

[नियम 3 (3) और 6(i) देखें]

प्रेषक

जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>1</sup> का पदनाम  
{विभाग.....}

प्रेषित

आवेदक का नाम और पता

सन्दर्भ: आवेदन संख्या.....तारीख.....

विषय- .....

महोदय,

कृपया आपके आवेदन तारीख .....के सन्दर्भ में अवलोकन करें।

2. आप द्वारा अपेक्षित सूचना तैयार है। आपको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सप्ताह के किसी भी कार्य-दिवस पर अपराहन 12.00 से 3.30 बजे तक सूचना प्राप्त करने का निदेश दिया जाता है।

जन सूचना अधिकारी (\*\*\*\*\*)<sup>2</sup>

दूरभाष संख्या.....

- 1 प्ररूप 'इ' में 'सहायक जन सूचना अधिकारी' शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 22.10.2008 द्वारा लोप किए गए।
- 2 यथोपरि (1)

प्ररूप 'ई'

[नियम-4 (1) देखें,]

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निरीक्षण के लिये आवेदन।)<sup>1</sup>

प्रेषित

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी  
(उस विभाग का नाम जहां पर निरीक्षण करना चाहते हैं)

- (क) सूचना की विषयवस्तु  
(ख) अवधि, जिससे सूचना सम्बन्धित हो। मास और वर्ष  
(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण  
(घ) नस्ति संख्या (यदि उपलब्ध हो)  
(ङ) क्या आवेदक छूट का दावा करता है, जैसे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित है यदि हां तो उसका प्रमाण संलग्न करें।  
[[[च] मांगदेय ड्राफ्ट या चालान]<sup>2</sup> या भारतीय पोस्टल आर्डर की [संख्या,रकम और तारीख की विशिष्टियां।]<sup>3,4</sup>

आवेदक,

नाम.....

पता.....

दूरभाष संख्या.....

- 1 नियम 3 (1) तथा नियम 4 (1) के परचात अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 31.12.2007 द्वारा शर्त \* परन्तु यह कि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है" अन्तः स्थापित की गई है।  
2 प्ररूप 'ई' के स्तम्भ (घ) में "मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या रकम और तारीख की विशिष्टियां" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 24.05.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।  
3 यथोपरि (2)  
4 प्ररूप 'ई' के स्तम्भ (घ) में "मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या रकम और तारीख की विशिष्टियां" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 08. 01.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

## परिशिष्ट-1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन रजिस्टर

### भाग-1

| क्र.सं. | आवेदक का नाम व डाक का पूरा पता | क्या गरीबी रेखा से नीचे का है | आवेदन प्राप्त करने की तारीख | प्रयोगिक तारीख जिसको अभिलेख तैयार होगा | डंग जिसके द्वारा सूचना भेजी जानी है | [(मांगदेय ड्राफ्ट या चालान) <sup>1</sup> या भारतीय पोस्टल आर्डर (संख्या) <sup>2</sup> रकम (और तारीख) <sup>3</sup> ] <sup>4</sup> | जन सूचना अधिकारी/ सहायक जनसूचना अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1       | 2                              | 3                             | 4                           | 5                                      | 6                                   | 7  | 8  |

### भाग-2

| जन सूचना तैयार होगी वास्तविक तारीख | वास्तविक पृष्ठों की संख्या | अतिरिक्त फीस की राशि | यदि सूचना व्यक्तिगत रूप से दी गई है, तो प्रमाणस्वरूप तारीख सहित आवेदक के हस्ताक्षर या यदि सूचना डाक द्वारा भेजी गई है उसकी विशिष्टता और तारीख | जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|
| 9                                  | 10                         | 11                   | 12  | 13  |

1 परिशिष्ट-1 के भाग-1 स्तम्भ-7 में " मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या और तारीख " शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई. आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 24.05.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

2 यद्योपरि (1)

3 यद्योपरि (1)

4 परिशिष्ट-1 के भाग-1 स्तम्भ-7 में " मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल आर्डर की संख्या रकम और तारीख " शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

परिशिष्ट- II

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निरीक्षण रजिस्टर

| क्र.सं. | आवेदक का नाम या पुराडाफ पता | ज्या गरीबी रेखा से नीचे का है | सूचना की विषय वस्तु | निरीक्षण किये जाने वाले अभिलेख की विशिष्टियाँ | लिया गया समय से— ताक | प्रभारित फीस की रकम | आवेदक के हस्ताक्षर | [(जनसूचना अधिकारी/ सहायक जनसूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (की विशिष्टियाँ)] <sup>3</sup> | जसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी हैं हस्ताक्षर |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| 1       | 2                           | 3                             | 4                   | 5   | 6                    | 7                   | 8                  | 9  | 10   |

- 1 परिशिष्ट-II में स्तम्भ-9 के स्थान पर "जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान की विशिष्टियाँ" शब्द अधिसूचना संख्या: पी.ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 24.05.2006 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।
- 2 यद्योपरि (1)
- 3 परिशिष्ट-II में स्तम्भ-9 के स्थान पर "जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की विशिष्टियाँ" शब्द अधिसूचना संख्या: पी. ई.आर. (ए.आर.) एफ(7)-2/98-वोल-1 दिनांक 08.01.2007 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए।

(Authoritative English Text)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21<sup>st</sup> January, 2006

**No. PER (AR) F (7)-2/98-Vol.I.**—In exercise of the powers conferred by clauses to sub-section (2) of section 27 of "The Right to Information Act, 2005" (Central Act No. 22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the Act, *ibid*, namely;

**1. Short title and commencement:-** (1) (These rules may be called the "Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006.")<sup>1</sup>

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions-** (1) In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005);

(b) 'Form' means a form appended to these rules;

(c) 'section' means section of the Act;

(d) 'Appendix' means appendix appended to the rules.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act respectively.

**3. Application for seeking information.—**(1) Any person seeking information under the Act shall make an application in Form 'A' to the Public Information Officer/Assistant Public Information Officer accompanied by fee prescribed in rule 5 and the Public Information Officer/ Assistant Public Information Officer shall duly acknowledge the receipt thereof and shall enter the particulars in Part I of the Application Register maintained for the purpose in Appendix I.

(Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing.)<sup>2</sup>

1. Since 21<sup>st</sup> January, 2006, these Rules have been amended four times and their mention finds at appropriate Rules and all amendments given at the end of these Rules.

2. In Rule 3, after sub-rule (1), the proviso "Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing" has been inserted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.

(2) Except in the case of an applicant who is determined by the State Government as being below poverty line, the application shall be accepted only if it is accompanied by a (Demand Draft payable to the concerned Department/ Public Authority or)<sup>1</sup> Challan (or Indian Postal Order)<sup>2</sup> in support of payment of the requisite application fee as specified in Rule 5. A separate application shall be made in respect of each subject and in respect of each year to which the information relates.

(3) When the information sought for is ready and requires payment of additional fee, if any, the Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>3</sup> shall communicate to the applicant the fact in Form 'B' specifying the additional fee to be paid, on his address given in the application. The particulars of information being supplied shall be entered in Part II of the Application Register.

(4) When the information is ready the Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>4</sup> will inform the applicant in Form 'C'.

(5) Any information supplied under Sub Rule (4) shall be in the language available in the office record.

**4. Inspection of record:-** (1) Any person who seeks to inspect the record before making an application under Section 4 shall make application in form D for the purpose indicating the record to be inspected.

(Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing.)<sup>5</sup>

(2) An Inspection Register shall be maintained with the Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>6</sup> in form given in Appendix-II and details of the application and inspection shall be recorded therein.

(3) During inspection the applicant shall not take photographs etc. of the record/document.

(4) Except if inspection of the record is disallowed under section 8 and 9 of the Act, Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>7</sup> shall allow the inspection on payment of the requisite fee prescribed in rule 5.

1 In rule 3(2) the words "Demand Draft payable to the concerned Department/Public Authority or" has been inserted vide notification No. Per(AR)F(7) 2/98-vol.I, dated 24-05-2006.

2 In rule 3(2) the words "or Indian Postal Order" has been inserted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 08-01-2007.

3&4 In rule 3(3) and 3(4) the words "Assistant Public Information Officer" has been omitted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008.

5 In rule 4, after sub-rule (1), the proviso " Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing" has been inserted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.

6&7 In rule 4(2) and 4(4) the words "Assistant Public Information Officer" has been omitted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008

5. **Charging of fee:-** (1) Except in the case of persons who are below poverty line as determined by the State Government, the Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>1</sup> shall charge the fee for supply of information at the following rates, namely:-

| Description of information   | Price/Fees in Rupees   |
|--|--|
| 1 Fee alongwith application  | Rs.10 per application  |
| 2 Where the information is available in the form of a priced publication.  | On printed price.  |
| 3 For other than priced publication.   | Rs.(2) <sup>2</sup> per page of A-4 size or smaller and actual cost subject to minimum of Rs.20 per page in case of larger size. |
| 4 Where information is available in electronic form and is to be supplied in electronics form e.g. Floppy, CD etc. | Rupees 50 per floppy and Rs.100 per CD.  |
| 5 Fee for inspection of Record/document  | Rs.(20) <sup>3</sup> per (30) <sup>4</sup> minutes orthereof.  |

(2) Every page of information to be supplied shall be duly authenticated giving the name of the Applicant (including below poverty line status if that is the case), and shall bear the dated signatures and seal of the concerned Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>5</sup> supplying the information.

(3) Fees/ Charges shall be deposited in a Government Treasury under the head of account "0070 - OAS, 60 - OS, 800 -OR, 11 - Receipt head under Right to Information Act, 2005". Accruals into this head of account may be placed in a separate fund by way of grant-in-aid for furthering the purposes of the Act, including purchase of equipment and consumables, providing training to staff etc.

6. **Procedure in appeals before the Appellate Authorities:-**(1) Contents of appeal- The Memorandum of appeal to the Appellate Authority/Commission shall contain the following information, namely:—

- (i) name and address of the appellant;
- (ii) name and address of the Public Information Officer against the decision of whom the appeal is preferred;
- (iii) particulars of the order including number, if any, against which the appeal is preferred;
- (iv) brief facts leading to the appeal

1 In rule 5(1) the words "Assistant Public Information Officer" has been omitted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008.

2 In rule 5(1) in item No. 3, the figure "2" has been substituted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008

3&4 In rule 5(1) in item No. 5, the figure "20" and "30" has been substituted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.

5 In rule 5(2) the words "Assistant Public Information Officer" has been omitted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008.

- (v) if the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number and date and name and address of the Public Information Officer to whom the application was made;
- (vi) prayer or relief sought;
- (vii) grounds for the prayer or relief;
- (viii) verification by the appellant; and
- (ix) any other information which the Commission may deem necessary for deciding the appeal.

(2) The appellant shall submit (two)<sup>1</sup> copies of the memorandum of appeal for official purpose.

(3) Every appeal made to the Appellate Authority/Commission shall be accompanied by the following documents, namely:—

(i) Self attested copies of the Orders or documents against which the appeal is being preferred;

(ii) (\*\*\*\*\*)<sup>2</sup>

[(ii)]<sup>3</sup> Copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and

[(iii)]<sup>4</sup> An index of the documents referred to in the appeal.

(4) When the Appellate Authority/ Commission may calls for the record, it shall in any case shall return the original record within 10 days after retaining an authenticated copy if required.

(5) On the date of hearing or on any other day to which hearing may be adjourned, the parties shall put their appearance before the Appellate Authority/ Commission. If the appellant fails to appear on such date, the Appellate Authority/Commission may in its discretion either dismiss the appeal or decide the matter ex-parte on merits

(6) The appellant shall not, except by leave of the Appellate Authority/ Commission, urge or be heard in support of any ground of objection which has not been set forth in the memorandum, but the Appellate Authority /Commission, in deciding the appeal, need not confine itself to the grounds of objection set forth in the memorandum:

Provided that the Appellate Authority/ Commission shall not rest its decision on any ground other than those specified in memorandum, unless the party likely to be affected thereby, has been given, an opportunity of being heard by the Appellate Authority/ Commission.

(7) The Commission may frame regulations in respect of its day-to-day proceedings.

1. In rule 6(2) the word "two" has been substituted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.

2. In rule 6(3), clause (ii) "challan in proof of the payment of the prescribed fee" has been omitted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.

3&4 In rule 6(3), clause (iii) and (iv) has been re-numbered as clauses (ii) and (iii) vide notification No.Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.



[Form 'A'  
[See rule-3 (1)]

(APPLICATION FOR INFORMATION UNDER  
THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005)<sup>1</sup>

To

The Public Information Officer/Assistant Public Information Officer  
(Name of the Department from which the information is sought )

- (a) Subject matter of the information \_\_\_\_\_
- (b) Period to which the information relates.  
Month & year \_\_\_\_\_
- (c) Description of the information required \_\_\_\_\_
- (d) File No. if available \_\_\_\_\_
- (e) Whether the applicant claims exemption  
as below poverty line family, if yes, attach proof \_\_\_\_\_
- (f) Particulars of Demand Draft or Challan (or Indian Postal Order)<sup>2</sup>No.,  
amount and date. \_\_\_\_\_

Applicant

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Telephone No. \_\_\_\_\_

ACKNOWLEDGEMENT

Received your application dated \_\_\_\_\_ alongwith  
Demand draft/challan (/IPO)<sup>3</sup>No. \_\_\_\_\_ amounting to Rs. \_\_\_\_\_  
vide diary NO. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

(Signature)  
Public Information  
Officer/Assistant Public Information Officer,  
Name of the Department/Public Authority<sup>4</sup>

- 1 After rule 3(1) and 4(1) the proviso " Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing" has been inserted vide notification NO. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.
- 2 In clause (f) the words "or Indian Postal Order" has been added vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 08-01-2007.
- 3 In the acknowledgement the sign and words " / IPO" has been added vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 08-01-2007.
- 4 Form 'A' has been substituted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 24-05-2006

**Form 'B'**  
**[See rule 3(3)]**

From  
Designation of the  
Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>1</sup>  
[Department \_\_\_\_\_]

To  
(Name of the applicant)  
Address of the applicant.

Reference: Application No \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_

Subject:

Sir,

Please refer to your application dated \_\_\_\_\_ referred to above. The information required by you consists of \_\_\_\_\_ pages and printed publication cost Rs \_\_\_\_\_. The additional fee for supplying this information to you is Rs. \_\_\_\_\_. In case you desire the information to be sent to you by post, an additional amount of Rs. \_\_\_\_\_ will need to be deposited.

[2 You are required to pay the aforesaid amount of the additional fee by way of Demand Draft payable to the Department/Public Authority or deposit it through Challan (or Indian Postal Order)<sup>2</sup> and send a copy to the undersigned.]<sup>3</sup>

3. If you are not satisfied with the amount of additional fee levied, you have right to prefer appeal to \_\_\_\_\_ within a period of 30 days.

Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>4</sup>

Tel No.

- 1 In Form 'B' the word "Assistant Public Information Officer" has been omitted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008
- 2 In Form 'B' the word " or Indian Postan Order" has been added vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 08-01-2007.
3. In Form 'B' para-2 " you are required to pay the aforesaid amount of the additional fee by way of Demand Draft payable to the Department/Public Authority or deposit it through Challan and send a copy to the undersigned" has been substituted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 24-05-2006.
4. In Form 'B' the word "Assistant Public Information Officer" has been omitted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008.

**Form 'C'**  
**[See rule 3(3) & 6(i)]**

From

Designation of the  
Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>1</sup>  
[Department \_\_\_\_\_]

To

(Name of the applicant)  
Address of the applicant.

Reference: Application No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_

Subject:

Sir,

Please refer to your application dated \_\_\_\_\_ referred to above.

2. The information required by you is ready. You are directed to collect the information from the office of the undersigned on any working day of the week during 12.00 to 3.30 p.m.

Public Information Officer (\*\*\*\*\*)<sup>2</sup>

Telephone No. \_\_\_\_\_

---

1&2 In Form 'C' the word "Assistant Public Information officer" has been omitted *vide* notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 22-10-2008.

**Form 'D'**

[See rule-4 (1)]

(APPLICATION FOR INSPECTION)<sup>1</sup>  
UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

To

The Public Information Officer/Assistant Public Information Officer  
(Name of the Department from which the inspection is sought)

- (a) Subject matter of the information  
-----
- (b) Period to which the information relates. Month & year
- (c) Description of the information required
- (d) File No. if available
- (e) Whether the applicant claims exemption  
as below poverty line family, if yes, attach proof

[(f) Particulars of Demand Draft or Challan]<sup>2</sup> or Indian Postal Order  
(No., amount and date)<sup>3</sup><sup>4</sup>

Applicant

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Telephone No. \_\_\_\_\_

1 After rule 3(1) and 4(1) the proviso "Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing" has been inserted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 31-12-2007.

2&3 In Form 'D' in clause (f) the words "Particulars of Demand Draft or challan No. amount and date" has been substituted vide notification No. Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 24-05-2006.

4 In Form 'D' in clause (f) the words "Particulars of Demand Draft or challan or Indian Postal Order No. amount and date" has been Substituted vide notification No. :Per(AR)F(7)- 2/98-vol.I, dated 08-01-2007.

## Appendix-I

### REGISTER OF APPLICATIONS FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

#### PART-I

| S.No. | Name & full postal address of the applicant | Whether below poverty line(BPL) | Date of receipt of application | Tentative date on which the record would be ready | Mode by which the information is sent. | [(Demand Draft or Challan) <sup>1</sup> or Indian Postal Order (NO.,) <sup>2</sup> amount (and date) <sup>3</sup> ] <sup>4</sup> | Signature of PIO/APIO |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1     | 2   | 3                               | 4                              | 5   | 6                                      | 7  | 8                     |
|       |   |                                 |                                |   |  |  |                       |

#### PART-II

| Actual date when the information is ready | Number of actual pages | Amount of additional fee | Signature of applicant with date in token of receipt if the information is delivered in person or if the information is sent by post its particulars and date | Signature of PIO/APIO |
|---|------------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| 9   | 10                     | 11                       | 12  | 13                    |
|   |                        |                          |   |                       |

1,2&3 In PART-I of Appendix-I, for column 7, the words "Demand Draft or Challan No. and date" has been substituted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 24-05-2006.

4 In PART-I of Appendix-I, for column 7, the words "Demand Draft or Challan or Indian Postal Order No., amount and date" has been substituted vide notification No.Per(AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 08-01-2007.

## Appendix-II

### INSPECTION REGISTER

UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

| S. No. | Name & full postal address of the applicant | Whether below poverty line(BPL) | Subject matter of information | Particulars of record to be inspected | Time taken from To | Amount of Fee charged | Signature of applicant | [(Particulars of demand Draft or Challan) <sup>1</sup> or IPO (deposited in the Treasury by PIO/APIO) <sup>2</sup> ] | Signature of PIO/APIO |
|--------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 1      | 2   | 3                               | 4                             | 5                                     | 6                  | 7                     | 8                      | 9  | 10                    |
|        |   |                                 |                               |                                       |                    |                       |                        |  |                       |

1&2 In Appendix-II for column 9 the words "Particulars of Demand draft or challan deposited in the treasury by PIO /APIO" has been substituted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 24-05-2006.

3 In Appendix-II for column 9 the words "Particulars of Demand draft or challan or Indian Postal Order deposited in the Treasury by PIO/APIO" has been substituted vide notification No. Per (AR)F(7)-2/98-vol.I, dated 08-01-2007.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2 24 मई, 2006

संख्या:पी0ई0आर0(ए0आर0)एफ(7)-2/98-वोल0-1.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3 के उप-नियम (2) में शब्द "चालान" से पूर्व "सम्बन्धित विभाग/लोक प्राधिकारी को दैय मांगदैय ड्रापट या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

3. नियम 6 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के खण्ड (ii) में शब्द "चालान" से पूर्व "मांगदैय ड्रापट या" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

4. प्ररूप "अ" प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप-अ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

प्ररूप- 'अ'  
(नियम-3 (1) देखें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए आवेदन ।

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी/सहायक जन-सूचना अधिकारी  
(उस विभाग का नाम जिसमें सूचना वांछित है)

(क) सूचना की विषय वस्तु .....

(ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है  
मास और वर्ष

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण ।

(घ) नस्ति संख्या यदि उपलब्ध हो ।

(ङ) क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होने की बाबत छूट का दावा करता है, यदि हाँ, तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, राशि और तारीख की विशिष्टियाँ ।

आवेदक

नाम.....

पता.....

दूरभाष संख्या.....

अभिस्वीकृति

आपका.....तारीख को किया आवेदन मुबलिक रूपये.....के मांगदेय ड्राफ्ट/चालान संख्या.....सहित दैनिक संख्या.....तारीख.....द्वारा प्राप्त हुआ ।

(हस्ताक्षर)

जन-सूचना अधिकारी।

सहायक जन-सूचना अधिकारी

विभाग/लोक प्रधिकारी का नाम



5. प्ररूप "आ" का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "आ" के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. आपसे उपरोक्त अतिरिक्त फीस की राशि विभाग/लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदत करनी या इसे चालान द्वारा जमा करवाना और उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना अपेक्षित है।

6. प्ररूप ई का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ई के स्तम्भ (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या, रकम और तारीख की विशिष्टियाँ"।

7. परिशिष्ट-I का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट-1 के भाग-1 में स्तम्भ-7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या और तारीख"।

8. परिशिष्ट-II का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट-II में स्तम्भ 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(9) जन-सूचना अधिकारी/सहायक जन-सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान की विशिष्टियाँ"।

आदेश द्वारा,

एस0 विजय कुमार,  
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98 Vol.-I, Dated 24-05-2006 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2 the 24<sup>th</sup> May, 2006*

**No. PER (AR) F (7)-2/98-Vol.-I.**—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is Pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, namely.—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the “Himachal Pradesh Right to Information (1<sup>st</sup> Amendment) Rules, 2006.”

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of Rule 3.**—In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter called the said rules), in sub-rule (2) before the word “Challan”, the words “Demand Draft payable to the concerned Department/Public Authority or” shall be inserted.

**3. Amendment of Rule 6.**—In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), in clause (ii) before the word “Challan”, the words “Demand draft or” shall be inserted.

**4. Substitution of Form A.**—For Form A appended to the said rules, the following shall be substituted, namely.—

Form 'A'  
[See rule-3 (1)]

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER THE RIGHT TO  
INFORMATION ACT 2005

To

The Public Information Officer/Assistant Public  
Information Officer

(Name of the Department from which the information is sought)

- (a) Subject matter of the information.  
-----
- (b) Period to which the information relates.  
Month & year.  
-----
- (c) Description of the information required.
- (d) File No. if available.  
-----
- (e) Whether the applicant claims exemption as below poverty line family,  
if yes, attach proof.  
-----
- (f) Particulars of Demand Draft or Challan No. amount and date.

Applicant

Name \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Telephone No. \_\_\_\_\_

ACKNOWLEDGEMENT

Received your application dated \_\_\_\_\_ along with Demand  
Draft/Challan No. \_\_\_\_\_ amounting to Rs. \_\_\_\_\_ vide diary  
No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_

(Signature)

Public Information Officer/  
Assistant Public Information Officer  
Name of the Department/Public Authority

5. **Amendment of Form B.**—In Form B appended to the said rules, for para 2, the following shall be substituted, namely.—

“2. You are required to pay the aforesaid amount of the additional fee by way of Demand Draft payable to the Department/Public Authority or deposit it through Challan and send a copy to the undersigned,”

6. **Amendment of Form D.**—In Form D appended to the said rules, for column (f), the following shall be substituted, namely.—

“(f) Particulars of Demand Draft or Challan No. amount and date.”

7. **Amendment of Appendix-I.**—In Appendix-I to the said rules, in PART-I, for column 7, the following shall be substituted, namely:—

“7 Demand Draft or Challan No. and date.”

8. **Amendment of Appendix -II.**—In Appendix-II to the said rules, for column 9, the following shall be substituted, namely.—

“9 Particulars of Demand Draft or Challan deposited in the treasury by PIO/APIO.”

By order,

**S. VIJAY KUMAR,**  
*Principal Secretary (AR) to the  
Government of Himachal Pradesh.*

हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला-2, जनवरी 8, 2007

संख्या: पी.ई.आर.(ए.आर.)एफ.(7)2/98-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (द्वितीय संशोधन)नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 (जिसमें इसमें इसके पश्चात “उक्त नियम” कहा गया है), के नियम 3 के उप-नियम (2) में शब्द “चालान” के पश्चात “या भारतीय पोस्टल ऑर्डर” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

3. नियम 6 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के खण्ड (ii) में शब्द “चालान” के पश्चात “या भारतीय पोस्टल ऑर्डर” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

4. प्ररूप “अ” का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप “अ” में

(क) खण्ड (च) में शब्द चालान के पश्चात या भारतीय पोस्टल आर्डर शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ख) प्ररूप ‘अ’ के नीचे अभिस्वीकृति में शब्द “चालान” के पश्चात “/भारतीय पोस्टल ऑर्डर” चिन्ह और शब्द जोड़े जाएंगे।

5. प्ररूप “आ” का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप “आ” के पैरा 2 में, शब्द “चालान” के पश्चात “या भारतीय पोस्टल ऑर्डर” शब्द जोड़े जाएंगे।

6. प्ररूप "ई" का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ई' के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की संख्या, रकम और तारीख की विशिष्टियां।”

7. परिशिष्ट-I का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट-I के भाग-1 में स्तम्भ 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की संख्या, रकम और तारीख।”

8. परिशिष्ट-II का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट II में स्तम्भ 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“जन-सूचना अधिकारी/सहायक जन-सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की विशिष्टियां।”

आदेश द्वारा,

एस. विजय कुमार,  
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98 Vol.-I, Dated 8-1-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

### NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8<sup>th</sup> January, 2007

**No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol.-I.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, namely.—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (2<sup>nd</sup> Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Amendment of rule 3.*— In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), after the word "Challan" the words "or Indian Postal Order" shall be inserted.

3. *Amendment of rule 6.*— In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), in clause (ii), after the word "Challan", the words "or Indian Postal Order" shall be inserted.

4. *Amendment of form 'A'.*— In Form 'A' appended to the said rules.—

(a) in clause (f), after the word "Challan" the words "or Indian Postal Order" shall be added; and

(b) In the acknowledgement below Form 'A' after the words "Challan", the sign and words "Indian Postal Order" shall be added.

5. *Amendment of Form 'B'.*— In Form 'B' appended to the said rules, in para 2, after the word "Challan", the words "or Indian Postal Order" shall be added.

6. *Amendment of Form 'D'.*— In form 'D' appended to the said rules, in clause (f), the following shall be substituted, namely :—

"(f) Particulars of Demand Draft or Challan or Indian Postal Order No. amount and date".

7. *Amendment of Appendix-I.*- In Appendix-I to the said rules, in Part-I, for column 7, the following shall be substituted, namely:—

“Demand Draft or Challan or Indian Postal Order No., amount and date”.

8. *Amendment of Appendix-II.*— In appendix-II to the said rules, for column 9, the following shall be substituted, namely.—

“Particulars of Demand Draft or Challan or Indian Postal Order deposited in the Treasury by PIO/APIO”.

By Order,  
S.VIJAY KUMAR,  
Principal Secretary.



हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला-2 31 दिसम्बर, 2007

संख्या: पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)-2/98-वॉल-1.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पर .(ए.आर.) एफ.(7)-2/98-वॉल-1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-2-2006 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (तृतीय संशोधन) नियम, 2007 है।

2. नियम 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा,

“परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है”।

3. नियम 4 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 4 के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गईं हों तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है।”

4. नियम 5 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम(1) में मद सं. 5 में अंक “10” व “15” के स्थान पर अंक क्रमशः “20” व “30” रखा जाएगा।

5. नियम 6 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 6 में,

- (i) उप नियम (2) में शब्द “चार” के स्थान पर शब्द “दो” रखा जाएगा, और
- (ii) उप नियम (3) में खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा और विद्यमान खण्डों (iii) और (iv) को क्रमशः खण्ड (ii) और (iii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा”।

आदेश द्वारा,  
एस.विजय कुमार  
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98 Vol.-I, Dated 31-12-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 31<sup>st</sup> December, 2007

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, notified vide this Department notification No. Per (AR) F (7)-2/98.Vol.I dated 21<sup>st</sup> January 2006 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 21.2.2006; namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (3<sup>rd</sup> Amendment) Rules, 2007.

2. *Amendment of rule 3.*— In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the “said rules”), after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing”.

3. *Amendment of rule 4.*— In rule 4 of the said rules, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing”.

4. *Amendment of rule 5.*— In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), in item No. 5, for the figures “10” and “15” the figures “20” and “30” respectively shall be substituted.

5. *Amendment of rule 6.*— In rule 6 of the said rules,

- (i) In sub-rule (2), for the word “four”, the word “two” shall be substituted; and
- (ii) In sub-rule (3), clause (ii) shall be deleted and the existing clauses (iii) and (iv) shall be re-numbered as clauses (ii) and (iii) respectively.

By order,  
S.VIJAY KUMAR,  
Principal Secretary.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला-2 22 अक्टूबर, 2008

संख्या: पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)-2/98-वॉल-I.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पर (ए.आर.) एफ.(7)-2/98-वॉल-1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-2-2006 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2008 है।

(ii) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.— हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में:—

(i) उप नियम (3) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप नियम (4) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. नियम 4 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 4 में:—

(i) उप नियम (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) उप नियम (4) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. नियम 5 का संशोधन— उक्त नियमों के नियम 5 में :—

(i) उप नियम (1) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) उप नियम (1) में मद संख्या 3 में अंक "10" के स्थान पर अंक "2" रखा जाएगा; और

(iii) उप नियम (2) में "सहायक जन सूचना अधिकारी" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. प्ररूप "आ" का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "आ" में "सहायक जन सूचना अधिकारी" जहां-जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. प्ररूप "इ" का संशोधन.—उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "इ" में "सहायक जन सूचना अधिकारी" जहां-जहां वे आते हैं शब्दों का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा

टी.जी. नेगी

प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98-Vol.-I, Dated 22-10-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 22<sup>nd</sup> October, 2008

**No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol.-I.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, which was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra ordinary) dated 21-2-2006 vide this Department notification No. Per. (AR) F (7)-2/98-Vol.I Dated 21<sup>st</sup> January, 2006, namely.—

**1. Short title and commencement.**—1. These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (4<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2008.

2. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 3.**— In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules),

(i) In sub-rule (3), the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted; and

(ii) In sub-rule (4), the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

**3. Amendment of rule 4.**— In rule 4 of the said rules,—

(i) In sub-rule (2) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted; and

(ii) In sub-rule (4) the words "Assistant Public Information Officer" shall be deleted.

4. *Amendment of rule 5.*— In rule 5 of the said rules,—

- (i) In sub-rule (1) the words “Assistant Public Information Officer” shall be deleted.
- (ii) In sub-rule (1) in item No.3, for the figure “10” the figure “2” shall be substituted; and
- (iii) In sub-rule (2) the words “Assistant Public Information Officer” shall be deleted.

5. *Amendment of Form B.*— In form B appended to the said rules, the word “Assistant Public Information Officer” wherever these appear shall be deleted.

6. *Amendment of Form C.*— In form C appended to the said rules, the word “Assistant Public Information Officer” wherever these appear shall be deleted.

By Order,

T.G.NEGI,  
*Pr. Secretary (AR) to the  
Government of Himachal Pradesh*